



Maulana Mazharul Haque Teachers' Training College
Mathurapur, Samastipur

Recognized by ERC, NCTE, Bhubaneswar
Affiliated to L. N. Mithila University, Darbhanga

Assignment

Course Code: COURSE - 1

Course Title: CHILDHOOD AND GROWING UP

Session: 2022 - 24

19/20

Submitted By:

Roll Number: 220076

Name: KHUSHBOO KUMARI

Class: B.Ed PART - 1

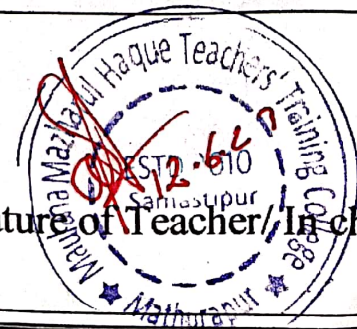
Uni. /BSEB Roll (If): _____

Year: 2023

Section: 'B'

Date of Submission:
20/04/2023

Signature of Teacher/In charge:



1. प्रतिभाशाली बालकों का क्या अर्थ है?
प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे करेंगे?

रूपरेखा:-

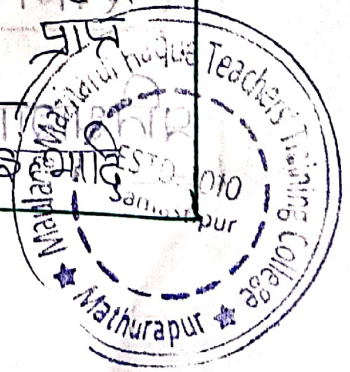
परिचय
प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ
परिभाषा
प्रतिभाशाली बालकों की पहचान
निष्कर्ष

परिचय:-

प्रतिभाशाली बालक शब्द उन
प्रतिभाषित विद्यार्थियों के लिए एक
प्रयुक्त होती है, जो सामान्य बालकों
से अलग अलग बुद्धिमान होते हैं।

प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ:-

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि
प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं, जिनमें कुछ
विशेष प्रतिभा निहित होती है। ऐसे बालक जो
अपनी श्रेष्ठ क्षमता के बराबर शैक्षिक उपस-
थानों में विद्यमान स्तर पर या स्थान प्राप्त
करते हैं, या किसी विशेष क्षेत्र में
गणित, कला, विज्ञान, सृजनात्मक लेखन



प्रतिभा रखते हैं, प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं।

- प्रतिभाशाली बालक उच्च बुद्धि उपमर्दि बालक बालक होते हैं। इन बालकों का I.Q 120 से 140 के मध्य होता है।
- प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं, इनकी श्रेष्ठता ही इनको अन्य बालकों से पृथक् पंक्ति में खड़ा कर देती है। कुशाग्र बुद्धि व अपनी प्रतिभा के कारण इन बालकों की समूह व समाज में अलग पहचान होती है।
- प्रतिभाशाली बालकों की संख्या सामान्य बालकों की तुलना में कम होती है।
- अर्थात् हम यह समझते हैं कि वह बालक कि जिसकी मानसिक आयु अपने जीवन की आयु के अनुपात में औसत से बहुत ही अधिक है, उसी प्रतिभाशाली बालक जिसे ज्ञात है।
परिभाषा : वह बालक जिसे ज्ञात है कि वह औसत के अनुपात में औसत से बहुत ही अधिक है, उसी प्रतिभाशाली बालक जिसे ज्ञात है।
टर्मैन और औडन के अनुसार
प्रतिभाशाली बालक शारीरिक, गठन, समाजिक

3

समाश्रयजन व्यक्तियों के गुणों, विद्यात्मकी उपम-
-ब्धि, स्वतन्त्र की सूचनाओं और कथनों की
विविधता में औसत बालक से श्रेष्ठ होते हैं।”

किर्क के अनुसार

“प्रतिभाशाली बालकों की श्रेष्ठ योग्यता मानते
हैं, जिसके द्वारा तथ्यों, विचारों तथा संबंधों
के साथ कार्य को पूर्ण किया जाता है।”

हैविंग हर्स्ट के अनुसार

“जो निरन्तर किसी कार्य क्षेत्र में कुशलता का
परिचय देता है उसे प्रतिभाशाली बालक मानते
हैं।”

क्री एवं क्री के अनुसार

- (a) प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। वे
बालक जिनकी बुद्धि उपमब्धि 130 से अधिक
होती है और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं।
(b) वे बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि
में एक या अधिक में विशेष योग्यता रखते हैं।

बॉफ के अनुसार

“सामान्य उच्च बुद्धि उपमब्धि की प्रतिभाशाली होने
का संकेत माना जाता है।” प्रतिभाशाली बालक शब्द
का अभिप्राय बालक की उच्च बुद्धि से किया
जाता है।

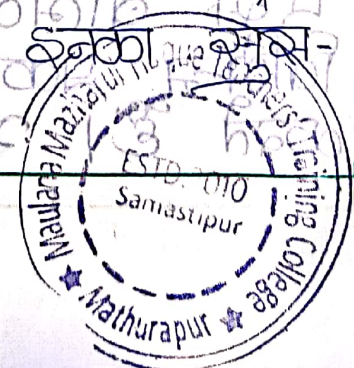
प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएँ

- 1) सामान्य ज्ञान उच्च मीट्री का होना ।
- 2) अनुशासित स्वभाव तथा दीर्घवान होना ।
- 3) अपनी सै बड़ों का सम्मान करना ।
- 4) इनका शारीरिक विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है ।
- 5) इनकी बुद्धि बाल्य 120 से अधिक होती है ।
- 6) इनका शब्दकोष अच्छा होता है ।
- 7) अध्ययन में रसि होना ।
- 8) सूक्ष्म दृष्टि का होना ।
- 9) कार्य विशेष में विशिष्टता ।
- 10) ज्ञानैन्द्रियों का शीघ्र विकास व शीघ्र निर्माण लेने की क्षमता ।
- 11) सामान्य बच्चों में उदासीनता ।
- 12) शारीरिक बलों का सामान्य बालकों की अपेक्षा प्रबल, प्रदर्शित होना ।
- 13) विद्यालय कार्य की कम संख्या से ही पूर्ण कर लेना ।
- 14) कल्पना शक्ति का उच्च होना ।
- 15) शारीरिक प्रीति का उच्च होना ।
- 16) गणितीय प्रीति का उच्च होना ।
- 17) एक से अधिक रुचियों का होना ।

19. कर्मात्मक अभिवृत्ति, अवितल आकर्षण होना ।
20. सैवंगात्मक रूप से विश्व व जिज्ञासु प्रवृत्ति व हठी प्रवृत्ति ।
21. आत्म विवशारी, मूढभाषी, आशावादी, आज्ञाकारी, स्वसूत्रभाषी ।
22. किसी विषय पर दृष्टान केन्द्रित करने की योग्यता का उच्च होना ।
3. कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करना व पाठ-पिवाद प्रतिभोगिताओं में भाग लेना ।
4. कठिन पाठों की आसानी से सीख लेना ।
5. नवीन तत्वों की जानने की इच्छा ।

प्रतिभाषात्मी वातमकी की पहचान

- देश की उन्नति व प्रगति के लिए प्रतिभाषात्मी वातमकी की वृद्धि आवश्यक होती है । अतः देश व समाज के लिए यह आवश्यक है कि वे इन प्रतिभाषा-औ उचित सम्मान करें तथा किसी भी प्रकार से उनका चमन करके उनके ज्ञान, भौश्र्यता, व क्षमता का समाज व राष्ट्र के हित में मोड़ने में और उनके सुसमायोजन करें ।



→ अतः आवश्यकता है कि प्रतिभाशाली बालकों की उचित मात्रा में पहचान की जाए तथा उनके लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

प्रतिभाशाली बालकों का चयन तथा पहचान करने के लिए निम्न विधियाँ काम में लाई जाती हैं -

- (i) परीक्षण (Testing)
- (ii) निरीक्षण (Observation)

(i) परीक्षण

प्रतिभाशाली बालकों की परीक्षाएँ हेतु निर्धारित मनीषाज्ञान की परीक्षाओं को प्रशासित किया जाता है, जिनमें से मुख्य रूप से निम्न परीक्षाएँ प्रचलित की जाती हैं -

(a) बुद्धि परीक्षण (Intelligence Test)

ये बालकों की पहचान हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षाओं का प्रयोग करते हैं। यह बुद्धि परीक्षण दो प्रकार से

किन्तु जा सकते हैं।

अभिवृद्धि परीक्षण

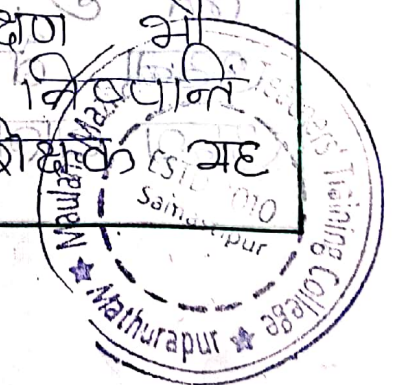
प्रतिभावात्मी बालकों के चयन में अभिवृद्धि परीक्षण सही रहता है। इस परीक्षण के द्वारा अभिवृद्धि रूप से बालक की बुद्धि मर्यादा का पता लगाया जाता है।

सामूहिक बुद्धि परीक्षण

अभिवृद्धि परीक्षण एक व्यक्ति पर आधारित होने के कारण अधिक अभिवृद्धि रहते हैं तथा जमाद समय भी लंबे हैं किन्तु सामूहिक परीक्षण में सम्पूर्ण कक्षा या वही या परीक्षा कर उनमें से प्रतिभावात्मी बालक का चयन किया जाता है। यह थोड़े समय में कम श्रम के साथ एक समूह में से प्रतिभावात्मी बालकों का चयन कर सकते हैं।

उत्पत्ति परीक्षण (Achievement Test)

उत्पत्ति परीक्षण को निष्पत्ति परीक्षण भी कहा जाता है। इस परीक्षण में निष्पत्ति जीतने होगी। इस परीक्षण से शिक्षक यह



जात करता है कि विद्यार्थी में कितनी की
उन्नति की है, या विद्यार्थी ने किस सीमा
तक विषय संबंधी ज्ञान प्राप्त किया है।
इस परीक्षा के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों
की उपलब्धि का पता लगाया जा सकता
है।

(c) अभिरुचि परीक्षण (Aptitude Test)

प्रत्येक बालक का जीवन शिक्षण के साथ
अधिक रहता है। शिक्षक छात्रों का दैनिक
अवलोकन करते हैं, जिसके द्वारा वे बालकों
की विभिन्न योग्यता तथा प्रतिभा का अनु-
मान लेते हैं। इस प्रकार वे भी प्रतिभाशाली
बालकों का पुनरावलोकन कर सकते हैं।

(ii) निरीक्षण (Observation)

बालकों की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन
कर उसकी प्रतिभा की खोज सकते हैं।
जैसे : —→ कुछ बालक अन्य बालकों
की अपेक्षा ज्यादा व जल्दी भाव कर
लेते हैं। कुछ जल्दी चमना पोरना,
उठना, बैठना आदि कर लेते हैं। कुछ
अन्य बालकों की अपेक्षा जल्दी काम कर

लेते हैं; आदि अनेक क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ
वातकी के निरीक्षण करने से उनकी प्रतिभाओं
की उजागर करती है।

प्रतिभाशास्त्री वातक की विशेषताएँ

विशाल शब्दकोष,

तीव्र मानसिक प्रकृति,

दैनिक कार्यों में भिन्नता,

उच्च बुद्धिमत्ति (130 से 170),

आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रभाव,

अध्ययन में अद्वितीय सफलता,

जीविम उठाने की क्षमता,

शक्तिशाली आत्मविश्वास,

अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति

नेतृत्व कौशल का होना।

कठिन मानसिक कार्यों की भी आसानी से



सौ करने में सक्षम.
- चरित्र एवं व्यक्तित्व अन्य बालकों से भिन्न

विषय - वस्तु के अभाव सहायक पुस्तकों (कहानी, उपन्यास, पत्रिका) का अध्ययन करना.

निष्कर्ष

प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो जहाँ क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता दिखाते हैं जैसे कि कलात्मक और रचनात्मक कार्य, नेतृत्व की गुणवत्ता, अवलोकन की उत्सुकता आदि। इन बच्चों में विषैली सोच होती है और ये स्वभाव से बहुत जिज्ञासु होते हैं, इसीलिए कभी-कभी कक्षा के नैतिक मूल्यों से दूरी लेते हैं। अपनी उम्र के साथियों की तुलना में चीजों की तेजी समझ लेते हैं। तो इसके लिए एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वे उनके लिए सीखने की दिशा दे सकें। उनके लिए अनुकूलित और उत्तेजक निर्देशों का उपयोग करें।

अतः यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों की संवर्धित अधिगम-अनुभव देकर मदद की जा सकती है।

कि निष्कर्ष (10) कि शिक्षक को बालक की

Identification of Gifted Children

पहचान

व्यापारिक संकेत
(Behaviour cues)

→ विशाल शब्द भंडार

→ तीव्र स्मृति

→ तीव्र जिज्ञासु प्रवृत्ति

→ कठिन मानसिक कार्य

→ पकड़ता है दृष्टान्त

→ मौखिक चिन्तन

→ सुदृढ़ अंतर्दृष्टि

अध्यापक का संकेत
(Teachers Rating)

→ आदिशम सम्बंधी
विशेषताएँ

→ नैतत्व सम्बंधी
विशेषताएँ

→ अभिप्रेरणा सम्बंधी
विशेषताएँ

→ भूजनात्मक
विशेषताएँ

बुद्धि परीक्षण
(I.Q. Testing)

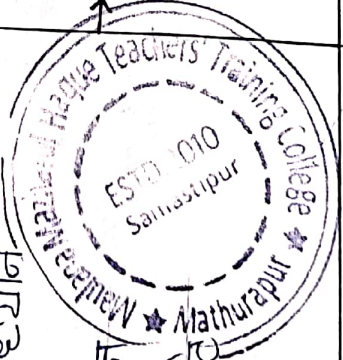
→ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण

→ अध्यापक का निरीक्षण

→ सामूहिक उपमांश परीक्षण

→ भूजनात्मक परीक्षाएँ या
प्राप्ति

→ सामूहिक बुद्धि परीक्षण



2

स्वाभाविक परीक्षण से क्या अभिप्राय है? स्वाभाविक परीक्षण की सीमाओं की पंचांकन करें।

बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र मनोविज्ञान के विकास के साथ-साथ अधिकाधिक विस्तृत होता जा रहा है। बाल-विकास के अध्ययनों में कुछ विधियों का ही उपयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक की सभी अध्ययन विधियां बाल मनोविज्ञान की समर-भाओं के अध्ययन के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होती हैं। कुछ अध्ययन के लिए भिन्न-आयु के बालकों के सम्पर्क के अध्ययन से अपना संबंध रखता है। सम्पर्क के अध्ययन के लिए बाल मनो-विज्ञान में जिन विभिन्न विधियों की सहायता ली जाती है। उन्हें निम्न प्रकार निपि-बद्ध किया जा सकता है—

निरीक्षण विधि

साक्षात्कार विधि

वैयक्तिक अध्ययन विधि

उपाख्यान या आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख



5. संचयी आत्मैव

किस विधि का प्रयोग व्यवहार अध्ययन के लिए कब किया जाए यह कई बातों पर निर्भर करता है। जिसके व्यवहार का अध्ययन करना है, इस व्यवहार अध्ययन का प्रयोजन क्या है, व्यवहार अध्ययन के लिए किस प्रकार की परिस्थितियाँ एवं उपकरण उपलब्ध हैं। यह अध्ययन आधिक-से-अधिक तर्क संगत विज्ञानमय तथा वस्तुनिष्ठ हो तथा इसके परिणामों की सत्यता एवं वैधता आदि की परख भली समझानुसार उपयुक्त विधियों के अनुसरण का ही प्रभाव किया जाता है।

1) निरीक्षण विधि (observation method)

निरीक्षण विधि बालक के व्यवहार का अध्ययन करने की एक सापेक्षजनक और उपयुक्त विधि है। अपनी दिन-प्रतिदिन की जिंदगी में बालक जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उनका उसी रूप में निरीक्षण करते रहने से उनके व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुणों से अच्छी प्रकार से परिचित हो सकते हैं। कई बार हमें जिस प्रकार के व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुणों का विशेष रूप से पता

प्रशाना होता है। उन व्यपहारों को चर्चित होने के लिए परिस्थितियां भी पैदा करनी होती हैं। जैसे किसी वास्तव की इमानदारी की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर कोई भूतभाँकन वस्तु या धन राशि उसके लिए छोड़ दी जाए। परिस्थितियां चाहे स्वाभाविक रूप से पैदा हो या कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जाएं उनमें जिस प्रकार के निरीक्षण पार उनके व्यपहार एवं व्यक्तित्व गुणों के बारे में निष्कर्ष निकालना निरीक्षण विधि के कार्यक्षेत्र में आता है। निरीक्षण की "उपकरणों" के बिना मापन " के रूप में भी परिभाषित किया जा सके।

2. साक्षात्कार विधि (Interview Method)

साक्षात्कार शब्द से सामान्यता हम सभी भीम परिचित हैं। किसी नक्शा या विशेष अध्ययन कोर्स में प्रवेश लेने तथा किसी नीतिविमों में चयन तथा पदोन्नति के लिए साक्षात्कार का सहारा लिया जाता है। जिसमें व्यक्तित्व, व्यपहार एवं योग्यताओं की जांच किया जाता है।

अर्थात् सामान्यतः या वही से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने-सामने की गई



की साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार एक मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों को मिलाने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं।

जब साक्षात्कार का प्रयोग किसी भी जीविका में नवीन निष्पत्ति हेतु चयन के लिए किया जाता है तो इस प्रकार के साक्षात्कार को चयनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। इस तरह के साक्षात्कार का मूल उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि साक्षात्कार प्रदाता कहां तक अपनी अभिवृत्ति, अभिरामता, योग्यताओं के आधार पर उम्मीद नौकरी के विषय में व्यक्त होगा।

इस विधि में अनुसंधानकर्ता को जिनकी सूचनाएं एकत्रित करने होती हैं उनसे निकटता बनाने, सौहार्द स्थापित करने तथा अपनी आवश्यकतानुसार जानकारी एकत्रित करने के लिए अधिक उपभोगी उत्तर हो सकता है। इस प्रकार साक्षात्कार में दो व्यक्तियों का आमने-सामने पारस्परिक होता है साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कार देने वाला।

3. वैयक्तिक अध्ययन विधि (Case Study Method)

वैयक्तिक अध्ययन सामाजिक अनुसंधान की एक प्राचीन विधि है जिसमें किसी व्यक्ति,

संस्था या समुदाय का गहन अध्ययन
किया जाता है।

गुडै के अनुसार "वैयक्तिक अध्ययन सामाजिक
तथ्यों की संश्लेषण करने की एक ऐसी विधि है
जिससे अध्ययन करने वाले वांछित सामाजिक
इकाई की एकात्मक प्रकृति की पूर्णतया रक्षा
ही सकती है।"

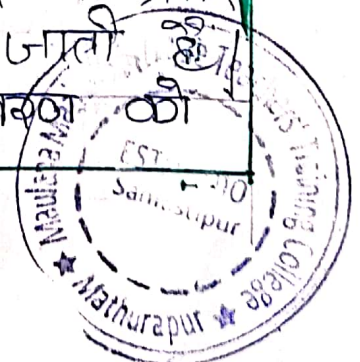
पीरियन एवं पीरियन के शब्दों, "वैयक्तिक अध्ययन
गुणात्मक विश्लेषण का एक विशेष स्वरूप
है जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति, परिस्थिति
अथवा संस्था का अन्तर्गत सापेक्षपूर्वक
और पूर्ण अभिलेखन किया जाता है।"

उपाख्यान या आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख

(Anecdotal Inspection Record)

स्कूल में छात्र जो भी गतिविधियाँ करते हैं तो
उसमें से कुछ प्रमुख घटनाओं की उपाख्यान
रूप संक्षिप्त विवरणों में फाइल / अभिलेख
Record लिखा जाता है। जिसमें छात्रों
की उत्पन्न समस्याओं, रुचि, सभी प्रकार
की Short summary में लिखी जाती है।
इसी Short summary संक्षिप्त विवरणों की

(P)



उपाख्यान अभिलेख कहा जाता है।

अतः उपाख्यान अभिलेख में वह सभी वीथी प्रमुख घटनाओं को मिली जाती हैं जिसमें छात्रों के प्राकृतिक जीवन में घटित होता है। एवं इसकी मदद से भी अध्यापक किसी छात्र के पूर्व घटनाओं को कम समय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है।

5. संचयी आलेख (Cumulative Record)

संचयी आलेख से तात्पर्य उन सभी प्रकार के अभिलेखों से है जिसमें किसी विद्यार्थी के बारे में लम्बे समय (कई वर्षों) तक अभिप्राय और विश्लेषणीय सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था तथा एकत्रित सूचनाओं का उचित प्रयोग करना तथा जिस आभिलेख विद्यार्थी की भौतिक, सामाजिक, प्राकृतिक समस्याओं के समाधान में सहायता की जा सकने वाली संचयी अभिलेख होता है।

“संचयी अभिलेख सूचनाओं का वह अभिलेख है। जिसका सम्बन्ध विद्यार्थी के भूतमात्र से होता है और सामान्यतः सूचनाओं को एक पत्र पर मिलकर एक ही स्थान पर रखा जाता है।”



**Maulana Mazharul Haque Teachers' Training College
Mathurapur, Samastipur**

Recognized by ERC, NCTE, Bhubaneswar
Affiliated to L. N. Mithila University, Darbhanga

Assignment

Course Code: 2

Course Title: Contemporary India and Education

Session: 2022 - 2024

19/20

Submitted By:

Roll Number: 220046

Name: Prerna Priyadarshini

Class: B. Ed.

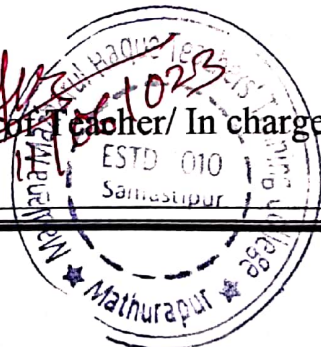
Uni. /BSEB Roll (If): _____

Year: 1st

Section: 'A'

Date of Submission: _____

Signature of Teacher/ In charge:



Question 1 Explain the provisions of Education in Indian Constitution in details.

Answers

Some of the major constitution provisions on education in India are as follows :-

There are some changes regarding the 42nd Amendment to the constitution. During 1976 our constitution was amended in many of its fundamental provisions.

Under the Constitution of India, the central Government has been specifically vested with several educational responsibilities.

Provisions of Education in Indian Constitution are as following :-

1. Free and compulsory Education :

The constitution makes the following provisions under Article 45 of the Directive Principles of state Policy that, "the state shall endeavour to provide within a period of 10 years from the commencement of the constitution, for free and compulsory Education for all children until they complete the age of 14 years."

The expression 'State' which occurs in this Article is defined in Article 12 to include 'The Government and the Parliament of India'

and the Government and the Legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India

It is clearly directed in Article 45 of the constitution that the provision of Universal, Free and compulsory Education becomes the joint responsibility of the centre and the state.

2 Education of Minorities :-

Article 30 of the Indian Constitution relates to certain cultural and educational rights to established and administer educational institutions.

It lays down :-

- (i) All minorities whether based on religion or language shall have rights to establish and administer educational institutions of their choice
- (ii) The state shall not in granting aid to educational institutions discriminate against any educational institute on the ground that is under the management of a minority whether based on religion or language

3. Language Safeguards :-

Article 29(1) state, 'Any section of the

citizen, residing in the territory of India or any part there of having a distinct language, script or culture of its own, all have the right to conserve the same.

Article 350(B)

provides for the appointment of special officers for linguistic minorities to investigate into all matters relating to safeguards provided for linguistic minorities after under the constitution.

4 Education for weaker sections :

Article 15, 17, 46 safeguard the educational interest of the weaker section of the society, Indian community that is socially, educationally backward classes of citizens and scheduled caste and scheduled tribes.

Article 15 states Nothing in this Article or in clause (2) of Article 29 shall prevent the state from making any special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes.

Under Article 46 of the constitution the federal government is responsible for the economic and educational development of the scheduled castes and

scheduled tribes.

5 Secular Education :

India is a secular country. It is a nation where spirituality based on religion had always given a high esteem.

Article 25 (1) of the constitution guarantees all the citizens the right to have freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate religion.

Article 28 (1) states No religious instruction shall be provided in any educational institution if wholly maintained out of state fund.

It is clear from the above context that the Constitution Act of 2002 inserted Article 21-A in the constitution of India to provide free and compulsory education for all children in the age group of 6 to 14 years as the fundamental right in such a manner as the state may by law determine.

The state shall provide free and compulsory education to all children.



Question 2

What is quality education? How quality environment is helpful for students Education?

Answer →

Quality Education specially entails issues such as appropriate skills development, gender parity, provision of relevant school infrastructure, equipment educational materials and resources scholarships or teaching force.

Whatever progress in our society has made over the centuries is because of education. Being the foundation stone of society education brings reforms, helps in progress and paves way for innovation.

The importance of 'Quality Education' cannot be undermined in a society which is why great personalities have extensively written on its need in a civilised society.

It is because of education that humans have been able to explore the vastness of the universe and the mystery of its existence in atoms.

Concept like gravity, cognitive dissonance, laser guided surgical procedure and millions of more would not exist if education were not there to unleash our potential.

Such pedagogy sets high and explicit expectations and develops positive relationships between teachers and learner and among them.

A learning environment is more than just a class-room — it's a space in which students feel safe and supported in their pursuit of knowledge as well as inspired by their surroundings.

To overcome these challenges and improve the quality education, schools can evaluate the following factors —

- Maintained Infrastructure
- Pedagogy skills.
- Quality of teachers.
- Extra curriculum activities.
- Proper implementation of government initiative and assessment of work.



It is clear from the above context that the Quality Education can inculcate hardworking, submitting work on time, actively participating in class and achieving high grades in their learners.

Quality Education has prime role at primary as well as secondary level for development of creativity and constructivist approach in learners.



Maulana Mazharul Haque Teachers' Training College
Mathurapur, Samastipur
Recognized by ERC, NCTE, Bhubaneswar
Affiliated to L. N. Mithila University, Darbhanga

Assignment

Course Code: Course-4

Course Title: Language Across the Curriculum

Session: 2022-24

Submitted By:

09
10

Roll Number: 220032

Name: Tunji Prakash

Class: B.Ed Part one

Uni. /BSEB Roll (If): _____

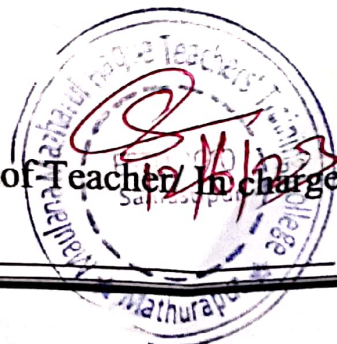
Year: 2023

Section: A

Date of Submission:

19-04-2023

Signature of Teacher In charge:



1. How children learn language with special reference to Piaget?

बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? पियाजै के विशेष संदर्भ से स्पष्ट करें।

2. What is the provision of language in Indian Constitutions?

भारतीय संविधान में भाषा का क्या प्रावधान है?



Q.1. How children learn language with special reference to piaget?

बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? पियाजे के विशेष संदर्भ से स्पष्ट करें।

Ans:-

जीन पियाजे का मानना है कि मानसिक विकास में जन्मजात कारकों की भूमिका नहीं होती। विकास का कारण है जीव और वातावरण के बीच अंतः क्रिया। इसका एक निहितार्थ यह है कि जिस प्रकार बच्चा-बच्ची वातावरण के संपर्क में आता है और उसका विकास क्रमशः होता है उसी प्रकार उसकी भाषा का भी होता है जैसे-जैसे बच्चा वातावरण के सम्पर्क में आता है अथवा वातावरण से अंतः क्रिया करता है वैसे-वैसे उसकी मानसिक संरचनाओं में गुणात्मक बदलाव आता है।

जीन पियाजे के अनुसार सीखने के संदर्भ में आत्मसातीकरण (Assimilation) और समायोजन (Accommodation) की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती हैं उदाहरण —

एक बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार जाता है। वहाँ वह एक गाय देखता है और उसकी माँ उस गाय की ओर संकेत कर कहती है देखो गाय आ गई। बच्चा गाय की कवि का उसके नाम के ध्वनि। आवाज संयोजित कर लेता है। यानी बच्चे का बौद्धिक संरचना में गाय की कवि का उसके नाम के ध्वनि, आवाज संयोजित कर लेता है। यानी बच्चे का बौद्धिक संरचना में गाय की कवि और ध्वनि अपत स्थान ले लेती है। पियाजे के अनुसार यह कवि स्कीमा (Schema) कहलाती है।

"Play is the answer to how anything new comes about"

— Jean Piaget

बच्चा अपनी बौद्धिक संरचना के आधार पर उसे आत्मसात (Internalize) करता है। अब बच्चा कुता, बिल्ली, बिल्ली आदि देखता है और उसे गाय कहकर सम्बोधित करता है। यह सामान्यीकरण की प्रवृत्ति है। बच्चे ने गाय और शीश जानवरों में समत्व: जैसे के आधार पर सामान्यीकरण किया। लेकिन जब अलग-अलग समय पर बच्चे के समझ उन जानवरों की अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है तो बच्चा पूर्व में बनाई गई कवि में परिवर्तन करता है।

इस परिवर्तन के आधार पर वह गाय, कुता, बिल्ली, बिल्ली आदि जानवरों में भेद करना सीखता है और उनके साथ क्रमशः उनके नामों, ध्वनियाँ, शब्दों की जाँचता है। इतना ही नहीं वह धीरे-धीरे समय के बदले क्रम में अलग-अलग तरह की गायों (सफेद, काली, भूरी, चितकबड़ी) में भी अंतर करने लगता है और उसी के अनु-सृत्य शब्दों का प्रयोग करता है और उसी के अनुरूप यह समाग्रोजन (Accommodation) की स्थिति है।

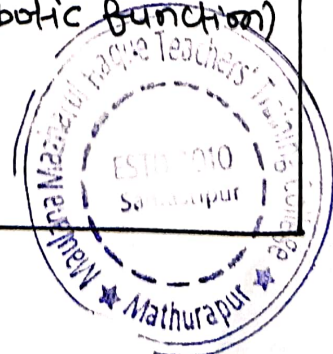
पियाजे के संदर्भ में यह स्वीकार किया गया है कि दो साल की उम्र से बच्चे की बौद्धिक संरचना में सांकेतिक कार्य (Symbolic function) के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगता है। बच्चा मानसिक कवियों तथा सांकेतिक गणिता (Symbolic thought) बनाने के साथ-साथ भाषा का उपयोग करना सीखने लगता है।

“बच्चों की ऊँची चीजों के बारे में सच्ची जानकारी होती है जिन्हें वे खुद सीखते हैं। जब कभी हम समय से पहले उन्हें कुछ सीखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें खुद सीखने का मौका नहीं देते।”

सांकेतिक कार्य मानसिक कवियों बनाने, खेलने, चित्र बनाने तथा भाषा का उपयोग करने में प्रकट होते हैं। इस उम्र से पहले भी बच्चा शब्दों का उपयोग करता है। लेकिन शब्दों को संकेत के रूप में उपयोग करता है तथा उससे सम्बंधित स्कीमा का विकास ही साथ ही उम्र से शुरू होता है। इस उम्र में वह ऐसे वाक्य बनाने लगता है जिनमें एक से ज्यादा शब्दों का उपयोग होता है।

वह व्याकरणिक नियमों को भी समझने लगता है। अब बच्चा इंडिय क्रियाओं से भी तेज क्रिया कर सकता है। वह तात्कालिक बटनाओं से परे जाकर उन पर बात कर सकता है। व्यवहार करने के लिए उसे वातावरण के तात्कालिक पक्ष तक सीमित नहीं रहना पड़ता। भाषा की वजह से उसके हिक तथा काल (Time and Space) की सीमाओं का विस्तार होता है।

अब उसके पास ऐसे स्कीमाज होते हैं जो उसे इस समय तथा इस स्थान पर मौजूद बटनाओं के साथ-साथ अन्य समय में चटी बटनाओं का ध्यान में रखकर व्यवहार करने में भी सक्षम बनाते हैं। भाषा का उपयोग सामाजिक जीवन को विस्तार देने तथा उसके प्रतीकीकरण हेतु किया जाने लगता है। भाषा के विकास के संदर्भ में पिंगुथ का विश्वास है कि विकास की औपचारिक अवस्था (Formal Stage) से पहले तक भाषा तमाम सांकेतिक कार्यों (Symbolic Functions) के साथ मिलकर काम करती है।



इस अवस्था से पहले क्रियाओं के कारण भाषा का विकास होता है। जब बच्चा वस्तुओं तथा घटनाओं का रूपांतरण करके उन्हें आत्मसात किये जा सकने वाले रूप में कल्पता है तो इस प्रक्रिया उसकी भाषा विकसित होती है। इसे कल्पने की प्रक्रिया को *Pivotal operating knowledge* कहते हैं।



Q.2. What is the provision of Language in Indian Constitution?

भारतीय संविधान में भाषा का क्या प्रावधान है?

Ans:-

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनेक जाति, धर्म के कारण भारतीय संविधान में भाषा के शिक्षा के लिए भाषा की नीति का निर्माण किया गया जो भारतीय संविधान के भाग-17 में उल्लिखित अनुच्छेद 343-351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं। अनुच्छेद 343-351 में राजभाषा से सम्बंधित उपबंधों की 4 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं:-

अध्याय 1- संघ की भाषा

अनुच्छेद 343: संघ की भाषा

अनुच्छेद 344: राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति

अध्याय 2- प्रादेशिक भाषाएँ

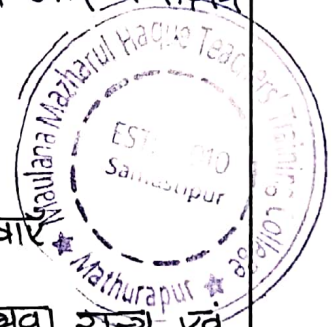
अनुच्छेद 345: राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ

अनुच्छेद 346: एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा राज्य एवं संघ के बीच पत्रादि के लिये राजभाषा।

अनुच्छेद 347: किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष उपबंध।

"If I find the Constitution being misused,
I shall be the first to burn it."

- Dr B.R. Ambedkar



अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348 : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा।

अनुच्छेद 349 : भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया।

अध्याय 4 - भाषा संबंधी विशेष निर्देश

अनुच्छेद 350 : शिकायत निवारण के लिए अग्रवेदन में प्रयुक्त भाषा।

अनुच्छेद 350 क : प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएँ

अनुच्छेद 350 ख : भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी।

अनुच्छेद 351 : हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश।

उपर्युक्त संवैधानिक अध्याय में भाषा और इस रूप में लावू की जाएँ इसका विस्तारीकरण इन भाषाओं के अध्यायों के अंतर्गत किया गया है। जिनमें विशेष रूप से वर्णित है। संविधान में अनुच्छेद 343-351 तक हिंदी के राजभाषा रूप का विश्लेषण किया गया है। यानी प्रशासनिक भाषा के स्वरूपों पर संविधान अपना स्पष्ट करता है। एक ऐसे देश में जहाँ अनेक भाषा परिवारों की भाषा बोलने वालों के बीच स्वाभाविक अनंत है, वहाँ संविधान इस बात के लिए खास तौर पर सचेत रहा कि भाषाओं के

नाम पर चमत्सान न मचे। भारतीय संविधान ने इस बात को सुनिश्चित किया कि विभिन्न भाषाओं को समुचित स्थान मिले।

इसी संदर्भ में आठवीं अनुसूची की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान ने विभिन्न भाषाओं की अस्मिता को स्वीकार करते हुए आठवीं अनुसूची का प्रवधान किया। संविधान की आठवीं अनुसूची में 1950 में 14 भाषाओं को शामिल किया गया। ये 14 भाषाएँ थी - असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगू और उर्दू।

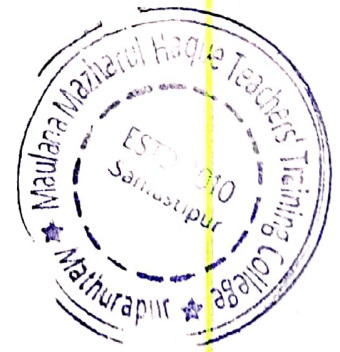
इस सूची में 21 वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा। इसी तरह 31 वें संविधान संशोधन द्वारा कोकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 92 वें संविधान संशोधन द्वारा बोंडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषाओं को भी इस सूची में स्थान दिया गया। इस तरह फिलहाल संविधान में कुल 22 भाषाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कई राज्य अपनी भाषाओं को इस सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह सूची भाषाओं की संख्या पर रोक नहीं लगाती।

भारतीय संविधान की अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। अनुच्छेद 343 (2) के अनुसार अंग्रेजी को सह-राजभाषा का दर्जा दिया गया। अंग्रेजी को यह दर्जा शुरुआत में 15 वर्षों का दिया गया था। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्यों को अधिकृत किया गया कि वे विधि द्वारा उस राज्य में प्रचलित

शब्द निर्माण के लिए स्त्रोत के रूप में आचार्य भाषा संस्कृत
 का महत्व दिया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान इस बात
 को लेकर स्वयं तौर पर सचेत रहा कि हिन्दी भाषा कहीं किसी
 विशेष स्त्रोत भाषा की प्रतिकृति मात्र न रह जाए।

==

—





Maulana Mazharul Haque Teachers' Training College
Mathurapur, Samastipur
Recognized by ERC, NCTE, Bhubaneswar
Affiliated to L. N. Mithila University, Darbhanga

Assignment

Course Code: COURSE-3

Course Title: LEARNING AND TEACHING

Session: 2022-24

19/20

Submitted By:

Roll Number: 220032

Name: TUNJI PRAKASH

Class: B.ED PART ONE

Uni. /BSEB Roll (If): _____

Year: 2023

Section: A

Date of Submission:

19-04-2023

Signature of Teacher/ In charge:

[Signature]
Maulana Mazharul Haque Teachers' Training College
Mathurapur, Samastipur
2023



1. "Learning is relatively permanent change in behaviour due to experience or training". In light of this statement, Explain the concept and characteristics of learning.

"अधिगम अनुभव अथवा प्रशिक्षण से प्राप्त होने वाला व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है"। इस कथन के आलोक में अधिगम की अवधारणा एवं विशेषताओं की व्याख्या करें।



2. "Motivation has a direct impact on individual learning". Discuss.

"व्यक्ति के सिखने पर अभिप्रेरण का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है"। चर्चा कीजिए।

Q.1.

"Learning is relatively permanent change in behaviour due to experience or training". In light of this statement. Explain the concept and characteristics of learning.

"अधिगम अनुभव अथवा प्रशिक्षण से प्राप्त होने वाला व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है"। इस कथन के आलोक में अधिगम की अवधारणा एवं विशेषताओं की व्याख्या करें।

Ans:

सीखना निरंतर चलने वाली एक सार्व-भौमिक व मानसिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक व्यक्ति के साथ चलती है। सीखने को हम अधिगम के नाम से भी जानते हैं। सीखने की गति परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तित होती रहती है। परंतु इसकी स्थिति में कभी विषमता एवं अस्थिरता नहीं आती है। मनुष्य को सीखने या अधिगम के लिए विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है।

व्यक्ति कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय किसी से भी, कुछ भी सीख सकता है। वह न केवल शिक्षा संस्थान में बल्कि परिवार, संस्कृति, मित्रमंडली, पड़ोसियों, राह चलते, सिनेमा, अपरिचित व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों इत्यादि सभी के परीक्षण-अपरीक्षण रूप से कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। अधिगम का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि व्यक्ति का अधिकांश व्यवहार सीखने से अथवा सीखने की प्रक्रिया से प्रभावित रहता है। सीखना सफलता का अधिगम है।

इसलिए वुडवर्थ ने कहा है कि

“सीखना विकास की प्रक्रिया है।”

“Learning is a process of development”

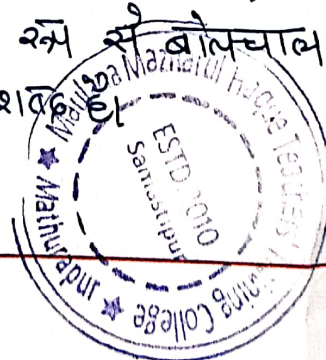
Meaning And Definition of Learning

सामान्य अर्थ में 'सीखना' व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। (Learning return to change in behaviour) परंतु सभी स्तर के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन थकान, बुरा खाने से, बीमारी, परिपक्वता (Maturation) आदि से भी होता है। परंतु ऐसे परिवर्तनों की सीखना नहीं कहा जाता है जो अभ्यास (Practice) या अनुभूति (Experience) के फलस्वरूप होते हैं।

प्रायः इसी तरह के परिवर्तन का उद्देश्य व्यक्ति को किसी दिए हुए वातावरण में समायोजन (Adjustment) करने में मदद करने से होता है। अतः यह कहा जाता है कि सीखना व्यवहार में वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होते हैं तथा जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन करने में मदद से होता है।

(Learning return to change in behaviour as a function of practice or Experience with a view to make adjustment in the environment)

सीखना या अधिगम वैसे ही सामान्य से बौद्धिक क्षमता की भांति प्रयोग किया जाने वाला शक्ति है।



प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभवों को इकट्ठा करता रहता है। ये नवीन अनुभव मानव के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। इन अनुभवों का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना ही सीखना है। निःसंदेह अधिगम ही तात्पर्य अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है।

सीखने के अर्थ को और स्पष्ट करने हेतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा दी है। जो इस प्रकार है—

“सीखना व्यवहार में स्थायी सामंजस्य की प्रक्रिया है”

“Learning is a process of progressive behaviour adaptation.”

— स्किनर

“नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम प्रक्रिया है।”

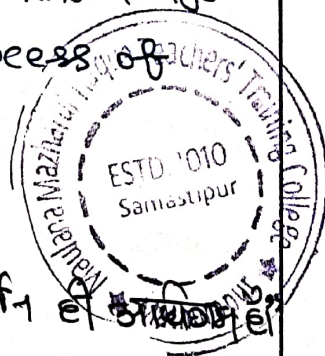
“The process of acquiring new knowledge and new responses is the process of Learning.”

— वुडवर्थ

“व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है”

“Learning is any change in behaviour resulting from behaviour.”

— जे.पी. गिबफर्ड



अधिगम की विशेषताएँ :-

I. सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है।

(Learning is the change in behaviour)

प्रत्येक सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर परिस्थिति ऐसी है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन एक अच्छा एवं अनुकूल (Advantage) परिवर्तन भी हो सकता है या खराब एवं कुसमंजित (Disadvantage) परिवर्तन भी हो सकता है।

साइकिल चलाना, सीखना, स्टेटर बनना सीखना आदि व्यवहार में एक अच्छा एवं अनुकूल परिवर्तन का उदाहरण हैं। परंतु कभी-कभी व्यक्ति कई बुरी आदतों जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि को भी सीख लेता है। व्यवहार में ऐसे परिवर्तन खराब एवं कुसमंजित परिवर्तन के उदाहरण हैं। सीखने से तात्पर्य व्यवहार में इन दोनों तरह के परिवर्तन से होता है।

II. व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। (The change in behaviour occurs as a function of practice or experience)

सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वह अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। यहाँ अभ्यास (Practice) से तात्पर्य किसी प्रकार के प्रशिक्षण से होता है। जिसमें व्यक्ति किसी प्रक्रिया को बार-बार दोहराते हुए तथा अपनी गलतियों को सुधारते हुए सीखता है।



अनुभूति (Experience) से यहाँ तात्पर्य व्यक्ति की आकस्मिक अनुभूति (Chance Experience) से होता है। जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। एक उदाहरण द्वारा इसे प्रकार समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति टाइप करना सीख रहा है। स्वभावतः टाइप करने की प्रक्रिया को वह एक प्रशिक्षण के आधार पर सीख रहा है क्योंकि वह बार-बार टाइप करता है तथा प्रत्येक बार में अपनी हुई गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है।

III. व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है।

(There is relatively permanent change in behaviour).

सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन व्यवहार जैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो एक खास समय तक एक तरह से स्थायी होता है। उस खास समय की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। वह कुछ दिन का भी हो सकता है कुछ महीने का भी उदाहरण यदि कोई व्यक्ति टाइप करना सीखता है। तो उसके व्यवहार में हुआ इस तरह का परिवर्तन कुछ समय तक स्थायी होता है।

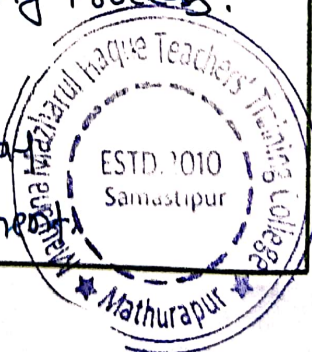
योकम एवं सिम्पसन (Yokum and Simpson) के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएँ निम्नालिखित हैं—

I. Learning is a Life Long Process.

II. Learning is change.

III. Learning is universal.

IV. Learning is Adjustment.



- V. Learning is Growth.
- VI. Learning is Doing something New.
- VII. Learning is Experience.
- VIII. Learning is Purposeful.
- IX. Learning is Rational.
- X. Learning is Active Deed.
- XI. Learning is Discovery.
- XII. Learning is a Product of Environment.
- XIII. Learning is Personal and Social both.

निष्कर्ष है कि हमें हमें कह सकते हैं कि सीखना व्यवहार में अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप रूप-रूप परिवर्तन को कहा जाता है। ऐसे परिवर्तन को सीखना कहलाने के लिए कुछ और के लिए स्थायी होना अनिवार्य है।



Q.2. "Motivation has a direct impact on individual learning". Discuss.

"व्यक्ति के सिखने पर अभिप्रेरण का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है"। चर्चा कीजिए।

Ans:-

अभिप्रेरण शक्ति का प्रयोग उन अवस्थाओं के लिए किया जाता है जो किसी कार्य-कलाप के आरंभ करने तथा उसे सतत रूप में सम्पन्न करने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रायः अभिप्रेरण व्यवहार के कारण के बारे में अनिश्चित होता है। जब हम किसी व्यक्ति की अभिप्रेरण के बारे में पूछते हैं, तो हम कहते हैं कि वह जो कुछ कर रहा है, वह क्यों कर रहा है।

यह किसी कार्य के कारण का जानने के बारे में एक प्रयास है। कारण विद्यार्थी में किसी चुनौती का लेने या कोढ़ने के पीछे प्रेरक बल हो सकता है। अभिप्रेरण आवश्यकता से प्रारंभ होती है और उद्देश्य प्राप्ति के बाढ़ सम्पाद हो जाती है। इसकी अवधारणा विद्यार्थी उपलब्धि में पाए जाने वाले उन अन्तरो को स्पष्ट करती है जो कुछ तथा शैक्षिक अभिप्रेरण द्वारा और अन्तरो से अतिरिक्त हैं।

इन प्रत्यय का प्रयोग एक ही विद्यार्थी के विभिन्न व्यवहारों में अंतर जानने के लिए तथा एक ही प्रकार अलग-अलग विद्यार्थियों में अंतर जानने के लिए किया जाता है। अभिप्रेरण का प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा देखा जाना सम्भव नहीं होता है। यह एक अदृश्य प्रकार की शक्ति होती है जिसके प्रभावों का निरीक्षण करना ही सम्भव हो पाता है। व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था से है जिस अवस्था के उत्पन्न होने पर वह बेचैनी का अनुभव करता है तथा इसे दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है।

Meaning of Motivation (अभिप्रेरण का अर्थ) :-

Motivation शब्द Moves शब्द से निकला है जिसका अर्थ To move (गति करना) है। किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जाएँ अथवा आवश्यकताएँ उसके पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न आदर्शों/मुख्य लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं।

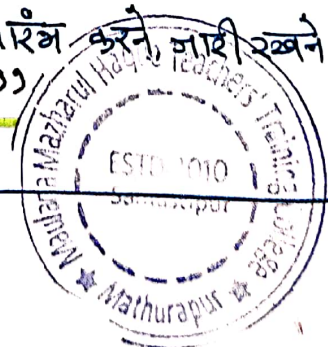
अभिप्रेरण से सीखने की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है जो आधिगम प्रक्रिया को मुख्य केंद्र होता है। यह विद्यार्थी में पढ़ाई तथा अन्य कार्यों के लिए गति पैदा करने तथा उनमें जागरूकता भरने की क्रिया है। प्रेरणा के कुछ पहलू हैं जिन पर जाँड़ दिया जा सकता है। जैसे :- प्रेरक, शक्ति, इच्छा, उत्साह, चाह, इच्छा, आवश्यकता, भूख, पक्षपात, तैयारी, मनोरथ इत्यादि।

इसलिए कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के जीवन के हर क्षण में तथा कार्यों के चरण में अभिप्रेरण का प्रमुख योगदान होता है। किसी क्षण में सफलता तथा किसी वस्तु की प्राप्ति अभिप्रेरण पर निर्भर करती है। अभिप्रेरण को सीखने का हृदय, सीखने की सुनहरी अवसर, अनिवार्य स्थिति और सीखने का प्रमुख कारक कहा जाते हैं। सारा सीखना, प्रेरित सीखना होता है।

Definition of Motivation (अभिप्रेरण की परिभाषा) :-

“स्कinner के अनुसार: “प्रेरण सीखने के लिए राजमार्ग है।”

“गुड के अनुसार: “प्रेरण क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियमित रखने की प्रक्रिया है।”



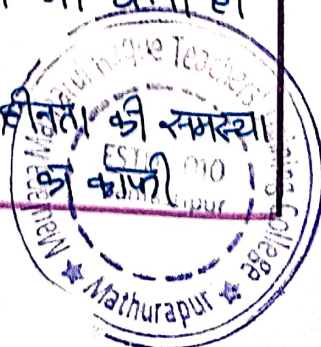
अनुकूल परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अभिप्रेरण एक आन्तरिक कारक या स्थिति अथवा तत्परता है जो किसी क्रिया या व्यवहार को आरंभ करने की प्रवृत्ति जन्मत करती है, यह व्यवहार की दिशा तथा मात्रा की निश्चित करती है। (क्रिया शीघ्रता) अभिप्रेरण पर शारीरिक तथा मानसिक, बाह्य एवं आंतरिक परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है।

Motivation in Learning
(सीखने में अभिप्रेरण) :-

आधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका प्रयोग करके अध्यापक सीखने सिखाने प्रक्रिया को अधिक अच्छे ढंग से सम्पादित कर सकता है। अभिप्रेरित बालक ज्ञानार्जन के लिए तत्पर होते हैं। वे शीघ्रता, सशक्तता, सहजता तथा सुव्यवस्था से सीख सकते हैं। इसके विपरीत जो बालक अभिप्रेरित नहीं होते वह प्रायः नई विषय को सीखने में रुचि नहीं लेते तथा वे सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।

बालक को शिक्षा का महत्व बताकर उनके भविष्य जीवन में शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट की जा सकती है। जिससे वे अपने लिए शिक्षा की आवश्यकता को महसूस कर सकें तथा शिक्षा प्राप्ति की और आधिकारिक अभिप्रेरित हो सकें। कारणों में अभिप्रेरण जितनी अधिक होगी, आधिगम प्रक्रिया के सफल होने की सम्भावना भी उतनी ही अधिक होगी।

आज विद्यालय में अनुशासनहीनता की समस्या एक ज्वलंत समस्या बन गई है। इस समस्या का काफी



समाधान अभिप्रेरणा। दत्त। किया जा सकता है। उनके अच्चे कार्यों के लिए पुरस्कार एवं प्रशंसा तथा अवोदित कार्यों के लिए निन्दा व फट्ट का प्रयोग उचित ढंग से किया जाये तो विद्यालय प्रांगणों में अत्यंत सहायता के साथ स्वाभाविक ढंग से अनुशासन का बनाव रखना सम्भव हो सकेगा।

Place of Motivation in Learning
(सीखने में प्रेरणा का स्थान) :-

✱ बालक के व्यवहार में परिवर्तन :-

शिक्षक प्रशंसा, निन्दा, पुरस्कार, मर्त्यन। आदि कृत्रिम प्रेरकों का बालिकमानी से प्रयोग करके बालक के व्यवहार को निर्देशित और परिवर्तित कर सकता है।

✱ चरित्र-निर्माण में सहायक :-

शिक्षक बालकों को उत्तम गुणों और आदर्शों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार वह उनके चरित्र निर्माण में सहायता दे सकते हैं।

✱ ध्यान केंद्रित करने में सहायक :-

हो एव ही के अनुसार शिक्षक बालकों को प्रेरित करके उन्हें अपने ध्यान की पक्ष्य-विषय पर केंद्रित करने में सहायता दे सकते हैं।

✱ मानसिक विकास :-

हो एव ही के अनुसार 'प्रेरक' बालक को अपनी सीखने की क्रियाओं में प्रोत्साहन देते हैं। अतः शिक्षक प्रेरकों का प्रयोग करके बालक को ज्ञान की अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

इस प्रकार वह उनके मानसिक विकास में अपूर्व योगदान दे सकती हैं।

★ स्वार्थ का विकास :-

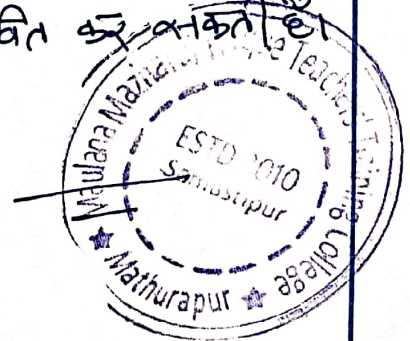
थॉमस के अनुसार प्रेरणा का मत में स्वार्थ उत्पन्न करने की क्रिया है। अतः शिक्षक, प्रेरणा का प्रयोग करके बालकों में कार्य भा अध्ययन के प्रति स्वार्थ का विकास कर सकता है। इस प्रकार वह उनके लिए ज्ञान प्राप्त करने का कार्य सरल बना सकता है।

★ अनुशासन की भावना का विकास :-

शिक्षक बालकों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार वह उनमें अनुशासन की भावना का विकास करके अनुशासनीयता की समस्या का समाधान कर सकता है।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेरणा कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति के प्रयास को परिणाम है।

यदि कुछ जरूरतें आंतरिक दबाव पैदा करती हैं जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं।





Maulana Mazharul Haque Teachers' Training College

Mathurapur, Samastipur

Recognized by ERC, NCTE, Bhubaneswar
Affiliated to L. N. Mithila University, Darbhanga

Assignment



Course Code: 6

Course Title: Gender, school and society

Session: 2022-24

Submitted By:

Roll Number: 220083

Name: GITANJALI CHAUDHARY

Class: B-Ed 1st year

Uni. /BSEB Roll (If): _____

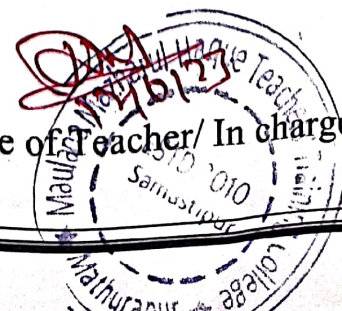
Year: 2023

Section: B

Date of Submission:

20-04-2023

Signature of Teacher/ In charge:



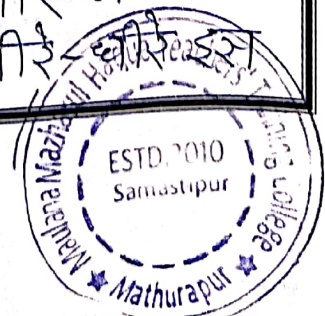
8.1) परिवार में जेण्डर असमानता को कैसे बढ़ावा दिया जाता है? इसके बुनियादी कारण क्या हैं? सौदाहरण समझाएँ।

Ans- Introduction:-

परिवार में जेण्डर असमानता का विकास परिवार के लोगों के द्वारा ही विकसित की जाती है जिसमें सत्तात्मक व्यवस्थाएँ एक प्रमुख कारणों के रूप में जुड़ी रहती हैं। यह सत्तात्मक व्यवस्था बहुपति, मातृवंशीय, मातृप्रधान, पितृवंशीय और पितृप्रधान के रूप में विकसित होते हुए परिवारिक संरचनाओं को प्रभावित करते हैं।

परिवार की भूमिका:-

परिवार की संरचना एकल एवं संयुक्त रूप में शुरू होती है। एक परिवार में परिवारिक सम्बंध पीढ़ी दर पीढ़ी को जोड़ती है और वह परिवार एक सम्बंध संरचना के रूप में माता-पिता, दादा-दादी, बुआ, चप्पा-चाची, चरैरे भाई-बहन इत्यादि के रूप में गतिशील विकसित होगी और वहीं स्वदिव्य परिवार में एक विभेदीकरण विचारधारा धीरे-धीरे विकसित होगी।



दम से विकसित हो जाती हैं।

जो घर एवं बाहर दोनों जगहों पर परिवार के सदस्य एक-दूसरे के प्रति नकारात्मक विचारधारा को विकसित कर लेते हैं और धीरे-धीरे वह परिवार के कार्यों में भी प्रभावित करना शुरू कर देते हैं और परिवार के समग्र विकास को प्रभावित करते हैं इसके लिए शिक्षा के भूमिका के माध्यम से जेंडर असमानता को कम किया जा सकता है जैसे ये प्रमुख जेंडर असमानता परिवार की भूमिका का विशेष रूप से असमानता को बढ़ावा देता है जो निम्न है :-

- ⇒ पारिवारिक पृष्ठभूमि
- ⇒ अशिक्षा एवं जागरूकता का अकाल
- ⇒ रूढ़िवादिता
- ⇒ पिछड़ापन एवं शरीबी
- ⇒ संतानों की अधिकता
- ⇒ सामाजिक स्थिति

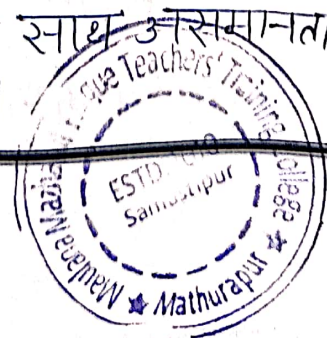


जैण्डर असमानता के बुनियादी कारण
निम्नलिखित हैं:-

- (i) सामाजिक दृष्टिकोण
- (ii) सांस्कृतिक कारण
- (iii) अशिक्षा
- (iv) जागरूकता का अभाव

(i) सामाजिक दृष्टिकोण:-

जैण्डर असमानता का प्रमुख कारण समाज का दृष्टिकोण है। समाज में बालिकाओं को बालकों से निम्नतर समझा जाता है। जन्म के पश्चात् ही किए जाने वाले रस्मों-रिवाजों से बालक-बालिका भेदभाव का प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक कार्यों में भी बालकों को ही प्रमुखता प्रदान की जाती है। इसीलिए प्रत्येक परिवार में पुत्र जन्म की इच्छा की जाती है और पुत्री जन्म होने के पश्चात् उसे भार समझा जाता है। समाज ऐसा मानता है कि सामाजिक कार्यों में पुरुष की अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अतः ऐसे में बालिकाओं के साथ असमानतापूर्ण व्यवहार किया जाता है।



(ii) सांस्कृतिक कारण :-

भारतीय संस्कृति ऐसी है कि यहाँ संस्कृति तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के नाम पर स्त्रियों के साथ असमानतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। स्त्री को वचपन में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन माना गया है और ऐसा करने वाली स्त्री आदर्श स्त्री के मानकों पर खड़ी उतरती है।

कन्या जन्म से लेकर अजीवन तक परिवार के लिए अभिशाप मानी जाती है; क्योंकि जन्म के समय वह माता को कष्ट देती है, युवावस्था में उसकी देखरेख से पिता परेशान होते हैं तथा विवाह के समय भी पुत्री-पिता के द्वारा कमाया गया धन समेतकर दहेज के रूप में लेकर जाती है। अतः इस प्रकार की अवधारणा के कारण भी चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता चली आ रही है।

(iii) अशिक्षा :-

हमारे समाज में अभी आधिकांश लोग अशिक्षित हैं और ये प्राचीन काल से चली आ रही बातों को बिना बुद्धि-विवेक और देश, काल आदि के सन्दर्भ में अपनाये बिना ही पालन करते चले आ रहे हैं।

अशिक्षित माता-पिता पुत्रों की शिक्षा की व्यवस्था तो कर देते हैं, जिससे वे शिक्षित होकर चार पैसों कमा सकें, परन्तु बालिकाओं के लिए चुल्हा चौका ही उपयुक्त समझा जाता है और उनकी शिक्षा की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं आती है।

(iv) जागरूकता का अभाव :-

जागरूकता का अभाव के कारण लड़कें-लड़कियों में भेदभाव किया जाता है क्योंकि पुत्र ही मोक्ष दिलाता है, पुण्य नामक नरक से पुत्र ही ताड़ता है। वंश परम्परा पुत्र ही चलाता है, पुत्री तो परायी धन होती है।

अतः उसकी शिक्षा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था करने से क्या लाभ होगा? जागरूकता की कमी के कारण अभी 'बाल-विवाह', दहेज प्रथा इत्यादि का प्रचलन है, जिसके दुष्परिणाम से हम कन्या भ्रूणहत्या और कन्या शिशु हत्या के रूप में भी देख सकते हैं।

अतः जागरूकता अभाव का ही परिणाम है कि बालिकाओं के लिए जो कार्य दृष्टि से देखे जाते हैं वही कार्य बालकों के लिए शान पढ़ाने

वाले होते हैं वही इस प्रकार जागरूकता के अभाव के कारण घर-बाहर दोनों ही स्थलों पर बालिकाओं के समझ अनेक चुनौतियाँ आती हैं, फिर भी यदि उन्हें थोड़ा या अवसर मिलता है तो वे अपने प्रतिभा के बल पर प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।

निष्कर्ष:-

उपर्युक्त बुनियादी कारण से जैण्डर असमानता को बढ़ाता है और परिवार में विभेदीकरण के माध्यम से रुढ़िवादिता को प्रतिस्थापित करता है।

64



Q.2) जेण्डर मुद्दे पर आधारित प्रोग्राम एवं योजनाओं का वर्णन करें।

Ans → महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लैंगिक समानता प्राप्त करने और ग्रामीण महिलाओं सहित महिलाओं की मुक्ति के लिए विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है।

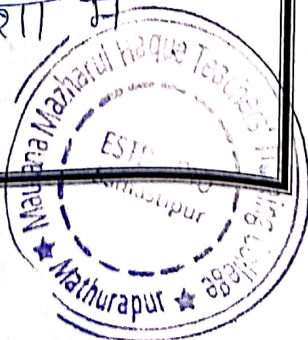
जैसे :- बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ इत्यादि।

(i) बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ :-

गिरते बाल लिंग अनुपात और जीवन-चक्र की निरंतरता में महिलाओं के सशक्तिकरण से सम्बंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए यह महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक त्रि-मंत्रालयी प्रयास है।

(ii) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना :-

(पूर्व से मातृत्व लाभ कार्यक्रम) गर्भवती और नर्सिंग माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बेहतर सक्षम वातावरण की दिशा में योगदान करने के लिए।



(iii) किशोरियों के लिए योजना :-

किशोरियों के लिए योजना का उद्देश्य 11 से 14 वर्ष तक की लड़कियों का पोषण, जीवन कौशल, घरलु कौशल और व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करना है।

(iv) राष्ट्रीय पोषण मिशन :-

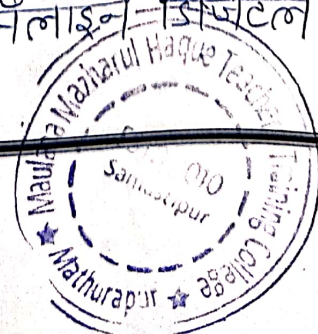
राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य "सुपोषित भारत" प्राप्त करना है और इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार करना और बच्चों के साथ-साथ महिलाओं में एनीमिया को कम करना भी है।

(v) राष्ट्रीय महिला कौष :-

गरीब महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सूक्ष्म-वित्त सेवाओं का विस्तार करने के लिए।

(vi) महिला ई-घट :-

महिला उद्योगियों / एसएचजी / एनजीओ के लिए एक अनुठा प्रत्यक्ष ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है।



(vii) प्रधानमंत्री महिला शक्ति केन्द्र :-

जो समुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए सशक्त करेगा जिसमें की अपनी पूरी क्षमता का एहसास करें।

(viii) महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज संस्था :-

मंत्रालय महिलाओं के सशक्तिकरण और पंचायती राज संस्थाओं के कार्य-काज से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए पंचायती राज की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी आयोजित करता है, स्थानीय शासन में भागीदारी नियोजन की प्रक्रियाओं का वर्णन कर सकेगा, और परिवर्तन एजेंटों के रूप में प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए महिलाओं को अपनी स्वयं की नेतृत्व क्षमता की पहचान करने में सक्षम बनाता है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय ग्रामीण महिलाओं सहित देश में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा का मुकाबला करने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर



रहा है। जैसे :—

(i) वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) :—

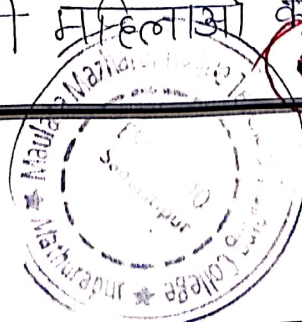
हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस, चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक सहायता और अस्थायी आश्रय सहित सेवाओं की एक एकीकृत श्रृंखला तक पहुँच की सुविधा के लिए।

(ii) महिला हेल्पलाइन :—

महिलाओं को 24x7 सेवा प्रदान करने के लिए पूरे देश में समान कोड 181 के साथ महिला हेल्पलाइन स्थापित की गई हैं। ये हेल्पलाइन हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं, और फोन के माध्यम से परामर्श और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता भी प्रदान करती हैं।

(iii) महिला पुलिस स्वयंसेवक :—

मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से हाल ही में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों (एमपीपी) की नियुक्त शुरू की है। ये एमपीवी पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेंगी और संकट पर फंसी महिलाओं की मदद करेंगी।





**Maulana Mazharul Haque Teachers' Training College
Mathurapur, Samastipur**

Recognized by ERC, NCTE, Bhubaneswar
Affiliated to L. N. Mithila University, Darbhanga

Assignment

Course Code: Course - 5

Course Title: Understanding Disciplines and Subjects

Session: 2022-24

08/10

Submitted By:

Roll Number: 220051

Name: Arvind Kumar

Class: B. Ed part - 1

Uni. /BSEB Roll (If): _____

Year: 2023

Section: B

12.6.23

Date of Submission:

20-04-2023

Signature of Teacher/ In charge:

Course:- 5 Understanding Disciplines and Subjects

Ques 1:- What are the benefits of information communication technology in school?

Ans:- Advantages of ICT:- The advantages of ICT in teaching are enormous. Let's learn about various advantages or benefits of ICT.

1. Cost effective:-

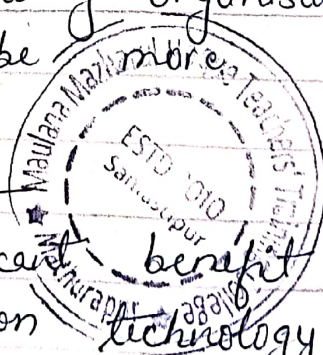
Video conferencing reduces the cost of travel and accommodation. ICT has not only brought countries and individuals closer together, but it has also enabled the global economy to become a single interdependent system for communicating.

2. Automation:-

ICT has enabled businesses to be automated, allowing client to access a website or voicemail 24 hours a day, seven days a week. ICT has also aided in the automation of corporate procedures, allowing organisation to be restructured to be cost effective.

3. Creation of new jobs:-

Perhaps the most significant benefit of information & communication technology has been the creation of new & exciting jobs.



4. Bridging the Cultural Divide:—

Increased access to technology has aided in bridging the cultural divide by allowing individuals of other cultures to communicate with one another and exchange views & ideas, thereby raising awareness & lowering prejudice.

5. Educational resources for teachers.

Images can be simply used in teaching and improving student retaining memory via ICT. Teachers can use ICT to simply explain complex structure, instructions, and guarantee that students understand them.

6. Upgraded Classrooms:—

Teachers may use ICT to build dynamic classrooms and make lessons more enjoyable for students.

7. ICT in education promotes students engagement and knowledge retention.

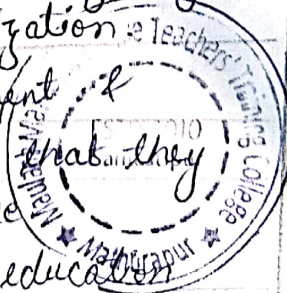
Students become more engaged in their work when ICT is integrated into lessons. This is due to the fact that technology allows ways to make it more engaging & entertaining to teach the same subjects in different ways. They will be able to remember knowledge more effectively & efficiently as a result of their increased participation, according to experts.

8. ICT promotes E-learning or online learning.

The use of ICT in education allows students and teachers to experience new forms of learning. With various unexpected events occurring in our lives, e-learning or online learning is becoming increasingly popular. One of the most significant benefits of ICT in education is the availability of vast amounts of information. The internet has made it possible for students to access a wealth of educational resources from anywhere in the world. They can use online libraries, educational websites, and databases to research, learn, and explore a wide range of subjects. In addition, students can also participate in online discussion and forums to exchange ideas and perspectives with their peers.

Another benefit of ICT in education is the ability to personalize learning experiences. With the use of ICT tools such as educational software and learning management systems, teachers can design and deliver lessons that are tailored to the individual needs and learning styles of their students. This personalization enhances the students' engagement & motivation, & helps to ensure that they are learning at their own pace.

The use of ICT in education also provides opportunities for collaboration and



teamwork. With the availability of online collaboration tools such as Google Docs, students can work together on projects, assignments and presentations, regardless of their physical location. This enhances their social and communication skills, and helps to prepare them for the future where teamwork & collaboration will be essential skills. This is not only allows schools to ensure that students have access to curriculum materials while in the classroom, but also allows them to ensure that students outside the classrooms, such as at home or in hospitals, can learn.

As a result, it is extremely important in education, particularly in terms of institution administration and management. It also provides enhanced information exchange mechanisms for educational institutions such as schools and other educational institutes. ICT has developed to the point that it is now an integrated part of the educational system.



Ques 2:— Define Research and describe the utility and limitation of observation method.

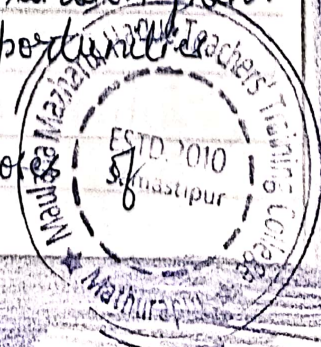
Ans:— Research is the careful consideration of study regarding a particular concern or research problem using scientific methods. According to the American sociologist "research is a systematic inquiry to describe, explain, predict & control the observed phenomenon. It involves inductive and deductive methods.

Inductive methods analyze an observed event, while deductive methods verify the observed event. Inductive approaches are associated with qualitative research, and deductive methods are more commonly associated with quantitative analysis.

Research is conducted with a purpose to: —

- Identify potential and new customers
- Understand existing customers
- Set pragmatic goals
- Develop productive market strategies.
- Address business challenges
- Put together a business expansion plan.
- Identify new business opportunities.

→ There are three main purposes of research: —



1. Exploratory:— As the name suggests, researchers conduct exploratory studies to explore a group of questions. The answers and analytics may not offer a conclusion to the perceived problem. It is undertaken to handle new problem areas that haven't been explored before. This exploratory process lays the foundation for more conclusive data collection and analysis.

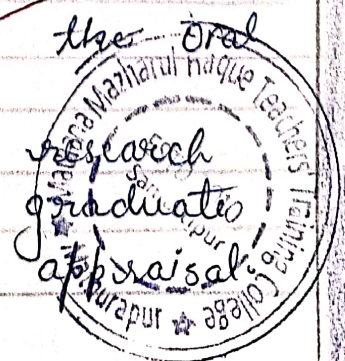
2. Descriptive:— It focuses on expanding knowledge on current issues through a process of data collection. Descriptive research describes the behavior of a sample population. Only one variable is required to conduct the study. The three primary purposes of descriptive studies are describing, explaining, and validating the finding. For example; a study conducted to know if top-level management leaders in the 21st century possess the moral right to receive a considerable sum of money from the company profit.

3. Explanatory:— Causal or explanatory research is conducted to understand the impact of specific changes in existing standard procedures. Running experiments is the most popular form. For example, a study that is

conducted to understand the effect of rebranding on customer loyalty.

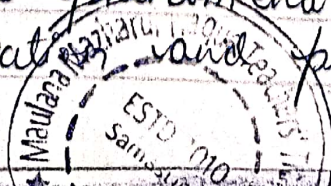
Utility of Research:—

- Research is an aid to decision making.
- Research facilitates the process of thinking analysis, evaluation, and interpretation of the business environment and of the various business situation.
- Research provides a basis for innovation.
- Research and developments helps to develop new products and to modify the existing product.
- Research identifies problems areas.
- Research establishes the relationship not only between variables in each functional area, but also between the various functional areas.
- Management's decision to undertake research in the future or to use the particular research firm again will be influenced by the perceived usefulness of the report and the presentation.
- The involvement of many managers in the projects is limited to the written report and the oral presentation.
- General consensus that the role of the baccalaureate calls for skill of critical



Limitations

- of the Observation Method:—
- The result which we get from uncontrolled observation method are less pure, they are not much reliable and valid.
 - The results which we get with the help of uncontrolled method are biased and defective.
 - In uncontrolled observation method, it has been seen that if there are more than one observers, these results differ from each other.
 - When observation is made without pre-planning the results cannot be verified.
 - We can see the effects of prejudice on the result in participant observation method.
 - A major limitation of this method is that the observer normally must be at the scene of the event when it takes place.
 - Observation cannot be used as and when the researcher finds it convenient to use it. He has to wait for the event to occur.
 - It is not suitable for studying opinions.
 - Observation period generally is short because long period is expensive or even impossible.
 - Cannot observe cognitive phenomena such as attitudes, motivations and preferences.



04

